

प्रेषक,

धीरज पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ:दिनांक: 13 जून, 2019

विषय:-वित्तीय वर्ष 2019-20 में संभावित बाढ़ एवं सूखा आदि के दृष्टिगत आपदाओं के प्रत्युत्तर हेतु जनपद स्तर पर आवश्यक खोज बचाव, इवेक्युएशन उपकरण, संचार उपकरण आदि की खरीद जेम पोर्टल के माध्यम से किये जाने हेतु धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि आपदाओं के प्रत्युत्तर हेतु जनपद स्तर पर आवश्यक खोज बचाव, इवेक्युएशन उपकरण, संचार उपकरण आदि जनपद स्तर पर जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किया जाना आवश्यक है। इस हेतु जेम पोर्टल पर उपलब्ध बचाव उपकरण और उनकी कीमत की सूची निम्नांकित हैं:-

जेम पोर्टल पर उपलब्ध बचाव उपकरण का नाम/मूल्य				
S.No.	Equipment Name	Price	Qut.	Total Amount
1	Portable Generator - 2500 Psi	65,700	1	65,700
2	Life-Buoys	2,350	10	23,500
3	Life Jacket	4,800	10	48,000
4	Safety Rescue Helmet	280	10	2,800
5	Metro Safety Helmet With Torch	898	10	8,980
6	Reflective Jackets	150	20	3,000
7	Rain Coat	1,940	5	9,700
8	Floating Pump	1,79,770	1	1,79,770
9	Aluminum Extension	35,000	1	35,000
10	Mega Phone	4,220	5	21,100
11	Disaster relief Tent Water Proof	55,000	1	55,000
12	Flood Led	1,000	1	1,000
13	Search Light	2,850	1	2,850
14	Nylon Rope	46	5	230
15	Sefty Gum Boot	1,200	5	6,000
16	Gbber Gloves	58	5	290
17	Hexagonal Safety Cones	799	10	7,990
18	Agricultural Shovel	499	5	2,495
19	Wheelbarrow	9,900	1	9,900
20	Cutting Pliers	195	1	195
Total		108	4,83,500	

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में संभावित बाढ़ एवं सूखा आदि के दृष्टिगत आपदाओं के प्रत्युत्तर हेतु जनपद स्तर पर आवश्यक खोज बचाव, इवेक्युएशन उपकरण, संचार उपकरण आदि की खरीद जेम पार्टल के माध्यम से किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि ₹0 3,75,00,000/- (रुपये तीन करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारीगणों के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

जनपद का नाम		स्वीकृत धनराशि (लाख ₹0 में)
1	सहारनपुर	5.00
2	मुजफ्फरनगर	5.00
3	शामली	5.00
4	मेरठ	5.00
5	हापुड़	5.00
6	गाजियाबाद	5.00
7	बुलन्दशहर	5.00
8	गौतमबुद्धनगर	5.00
9	बागपत	5.00
10	आगरा	5.00
11	मथुरा	5.00
12	फिरोजाबाद	5.00
13	मैनपुरी	5.00
14	अलीगढ़	5.00
15	एटा	5.00
16	कासगंज	5.00
17	हाथरस	5.00
18	बरेली	5.00
19	बदायूँ	5.00
20	शाहजहाँपुर	5.00
21	पीलीभीत	5.00
22	मुरादाबाद	5.00
23	रामपुर	5.00
24	बिजनौर	5.00
25	अमरोहा	5.00
26	सम्भल	5.00
27	कानपुर नगर	5.00
28	कानपुर देहात	5.00
29	इटवा	5.00
30	फर्रुखाबाद	5.00
31	कन्नौज	5.00
32	औरैया	5.00
33	प्रयागराज	5.00
34	फतेहपुर	5.00

35	प्रतापगढ़	5.00
36	कौशाम्बी	5.00
37	झांसी	5.00
38	ललितपुर	5.00
39	जालौन	5.00
40	हमीरपुर	5.00
41	महोबा	5.00
42	बांदा	5.00
43	चित्रकूट	5.00
44	वाराणसी	5.00
45	जौनपुर	5.00
46	गाजीपुर	5.00
47	चन्दीली	5.00
48	मीरजापुर	5.00
49	सोनभद्र	5.00
50	संत रविदास नगर	5.00
51	आजमगढ़	5.00
52	मऊ	5.00
53	बलिया	5.00
54	गोरखपुर	5.00
55	महाराजगंज	5.00
56	देवरिया	5.00
57	कुशीनगर	5.00
58	बस्ती	5.00
59	सिद्धार्थनगर	5.00
60	संत कबीरनगर	5.00
61	लखनऊ	5.00
62	उन्नाव	5.00
63	रायबरेली	5.00
64	सीतापुर	5.00
65	हरदोई	5.00
66	खीरी	5.00
67	गोण्डा	5.00
68	बहराइच	5.00
69	बलरामपुर	5.00
70	श्रावस्ती	5.00
71	अयोध्या	5.00
72	सुलतानपुर	5.00
73	बाराबंकी	5.00
74	अम्बेडकर नगर	5.00
75	अमेठी	5.00
कुल योग		375.00
(रुपये तीन करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)		

- (1) उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक *2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-11-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा। टीआर-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।
- (2) प्रस्तावित उपकरणों की अभिरक्षा/रखरखाव एवं उनका प्रयोग सम्बन्धित जिलाधिकारी अधीन अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा।
- (3) क्रय किये जाने वाले उपकरणों का प्रयोग सम्बन्धित जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में आपदा संबंधी कार्य हेतु बाढ़ एवं सूखे से प्रभावित तहसीलों के द्वारा किया जायेगा।
- (4) उपरांकित उपकरणों की उपयोगिता के दृष्टिगत समस्त अथवा आवश्यकतानुसार उपकरण क्रय किये जायें। यदि उपकरणों की आवश्यकता नहीं हैं, तो आवंटित धनराशि नियमानुसार दिनांक 31.03.2020 के पूर्व वापस कर दिया जायें।
- (5) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
- (6) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।
- (8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।
- (9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
- (10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

भवदीय,


(धीरज पाण्डेय)
विशेष सचिव।
P/

संख्या - २०४ (१)/एक-१०-२०१९-३३(५७)/२०१९, दिनांक: १३ जून, २०१९

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
- २- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- ३- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र० लखनऊ।
- ४- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- ५- उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, गोमती नगर, लखनऊ।
- ६- सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- ७- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-५
- ८- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कपिल कुमार कटियार)
अनु सचिव।